

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

**Rule 64 : Form and manner of submission of return by persons providing online information and database access or retrieval services**

Every registered person providing online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered person shall file return in **FORM GSTR-5A** on or before the twentieth day of the month succeeding the calendar month or part thereof.

---

**नियम 64 : ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति**

भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति कलेंडर मास या उसके भाग के पश्चात्पूर्वी मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटीआर-5क में विवरणी फाइल करेगा।

---